

७८



भिक्षा-वृत्ति
का व्यवसाय
न रहने दें

युग निर्माण योजना, मथुरा

लेखक—श्रीराम शर्मा आचार्य

: BOOK MADE AVAILABLE FOR DIGITIZATION BY :

YUG NIRMAN YOJANA, GAYATRI TAPOBHUMI
MATHURA, INDIA

: OUR MAIN CENTERS :

Shantikunj, Haridwar,
Uttaranchal, India – 249411
Phone no : 91-1334- 260602,
Website : www.awgp.org
E-mail : shantikunj@awgp.org

Gayatri Tapobhumi,
Mathura, U.P., India – 281003
Phone no : 91-0565-2530128,
Website : www.awgp.org
E-mail : yugnirman@awgp.org

: BOOK DIGITIZED BY :

भिक्षा-वृत्ति का व्यवसाय न रहने दें



मनुष्यता का यह सबसे बड़ा अपमान है कि समर्थ होते हुए भी व्यक्ति दूसरों के आगे अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए हाथ पसारे। स्वाभिमान, आत्म-सम्मान को कष्ट और अभाव सह कर भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए कोई दुर्घटना अथवा आकस्मिक विपत्ति के समय आपत्ति धर्म की बात दूसरी है पर सामान्यतः यही नीति है कि— मनुष्य अपने हाथ-पैर से काम करके गुजारा करे। दूसरों के आगे हाथ न पसारे और अपने, आत्म-सम्मान को न गिराये।

अपने देश में अब भिखमंगेपन ने एक सुव्यवस्थित व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। पिछली सरकारी जन गणना के अनुसार अपने यहाँ ८४ लाख व्यक्ति भिक्षा-व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते हैं इसमें असमर्थ एवं अपज्जों की संख्या एक लाख से भी कम है, शेष सभी इस योग्य हैं कि अपनी आजीविका अपने श्रम द्वारा उपाजित कर सकें। पर वे करते नहीं।

भिक्षा व्यवसाय पर निर्भर लोगों में ७० लाख के लगभग व्यक्ति साधु ब्राह्मणों का वेष बना कर विचरण करते हैं और शेष अपने को दरिद्र असमर्थ बतलाते हैं। दोनों ही वर्गों में अधिकांश की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें भोख माँगने पर उतारू होने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न हो। भजन के लिए यह आवश्यक नहीं कि भिक्षाजीवी बनकर ही उसे किया जाय। अपनी आजीविका से निर्वाह

करते हुये भी भजन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अन्यथा ऋण भार में वह भजन भी चला जायगा। यह बात मोटी बुद्धि से भी समझी जा सकती है। ८४ लाख तो वे भिखारी हैं, जिनने अपनी एकमात्र आजीविका भिक्षा घोषित की है। ऐसे लोग जो व्यवसाय तो करते ही हैं पर समय समय पर भिक्षा का लाभ भी लेते रहते हैं, ऐसे 'अर्ध भिक्षुक' भी लगभग इतने ही होंगे।

प्राचीन काल में साधु-ब्राह्मण भिक्षा माँगा करते थे। इसलिए कि वे अपना सारा समय लोक-मङ्गल के लिये समर्पित कर सकें, अत्म-शुद्धि और आत्म-समर्थता के लिए वे थोड़ा समय भजन, स्वाध्याय में लगाते थे और शेष सारा समय लोक मङ्गल में देते थे। न निन्न की सम्पत्ति होती थी, न आकांक्षा। भजन और स्वाध्याय भी वे इस लिये करते थे कि इन माध्यमों से विनिर्मित उनका प्रखर व्यक्तित्व लोक-मङ्गल के लिये अधिक उपयोगी एवं समर्थ सिद्ध हो सके। भिक्षा इस लिये माँगते थे कि आजीविका उपार्जन में उनका बहुमूल्य समय नष्ट न होकर वह समाज के काम आये। ऐसे लोक सेवी कम संख्या में होते थे, उनके पुनीत कर्तृत्व को देखकर लोग भिक्षा देते हुये भी अपने को धन्य मानते थे। उन दिनों उन हजारों लाखों लोकसेवी साधु ब्राह्मणों के सत्प्रयत्नों से अपना समाज हर दृष्टि से सुविकसित और समुन्नत बनता था। तब साधु ब्राह्मणों की संख्या वृद्धि राष्ट्रीय सौभाग्य की वृद्धि गिनी जाती थी। आज परिस्थितियाँ बिलकुल उल्टी हो गई हैं। प्राचीन काल जैसे साधु ब्राह्मण अब इतने कम हैं कि उँगलियों पर गिना जा सके। अधिकांश तो परिश्रम से बचने के लिये यह धन्धा अपनाए हुए हैं।

सत्तर लाख साधु यदि रचनात्मक कार्यों में लग सके होते तो आज परिस्थितियाँ कुछ और हो रही होतीं। भारत में सात लाख गाँव हैं। सत्तर लाख व्यक्ति यदि उनका कायाकल्प करने के लिये—शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार आदि समस्याओं को हल करने के लिए—जुट पड़े तो हर गाँव के पीछे १०—आते हैं और वे अपने प्रयत्न से वहाँ स्वर्गीय वातावरण पैदा कर सकते हैं साक्षरता की आवश्यकता भी एक-दो वर्षों में पूरी हो सकती है। गृह-उद्योग बनप सकते हैं। व्यायामशालायें, पुस्तकालय, रक्षादल, सार्वजनिक स्वच्छता, सामाजिक कुरीतियाँ व्यसन, आलस्य आदि दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण आदि कार्यक्रमों से क्षेत्रों में आशाजनक परिवर्तन देखा जा सकता है। इतने लोक-सेवियों द्वारा देश की परिस्थितियाँ कुछ से कुछ बनाई जा सकती हैं। चीन की सशस्त्र सेना के लगभग बराबर संख्या वाले अपने साधु सन्त सारे संसार में भारतीय धर्म और संस्कृति की ध्वजा फहरा सकते हैं। पर दुर्भाग्य को क्या कहा जाय, जिसने साधु वेषधारी भिखमगे हमारे सामने खड़े कर दिये।

ऐसी दशा में क्या यह उचित है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस प्रकार जनता पर भार बनी बैठी रहे और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए नाना प्रपंच तथा मूढ़ विश्वास फैलाती हुई लोक मानस को विकृत करती रहे। इसी प्रकार उन भिखारियों का प्रश्न है, जो काम करने में सर्वथा असमर्थ न होते हुए भी भिक्षा पर उतर आये हैं। यदि मनुष्य चाहे तो थोड़ी बहुत शारीरिक असमर्थता के बीच भी कुछ न कुछ श्रम उपार्जन कर सकता है इच्छा हो तो काम भी मिल सकता है और राह भी।

अनिच्छा हो तो असमर्थता, अपङ्गता और दरिद्रता का ढोंग बनाने में अब वे प्रवीण हो गये हैं। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिले हैं कि यह निष्ठुर लोग अपने बालकों के हाथ, पैर तोड़कर, आखें फोड़ कर उन्हें अपङ्ग बना देते हैं ताकि उनके बहाने अधिक आजीविका उपाजन हो सके।

राष्ट्र की आर्थिक और नैतिक कमर तोड़ देने वाल इस भिक्षा-व्यवसाय का अन्त करने के लिये हर विचारशील व्यक्ति को सजग होना चाहिए कुपात्रों को दान देना इस दुष्प्रवृत्ति को फलने-पूलने का अवसर देना है। हर मनुष्य को विवेक से भी काम लेना चाहिए और देते समय यह भली भाँति परख लेना चाहिए कि उसका पैसा किस प्रयोजन में लगेगा। ढोंग या परम्परा से प्रभावित होकर दान देने की मानसिक दुबलता से जब तक जूझा न जायगा भिक्षा व्यवसाय की विष-बेल बढ़ती ही चली जायगी।

जो सर्वथा अरङ्ग, असहाय हैं, उनके निर्वाह का प्रबन्ध संस्थाओं अथवा सरकार को करना चाहिए। जो लोक सेवा में संलग्न साधु ब्राह्मण हैं उनके निर्वाह का प्रबन्ध धर्म संस्थाओं का करना चाहिए। प्राचीनकाल में यातायात, डाक, बैंक आदि का प्रबन्ध न होने से सर्वत्र मिल सकने वाली भिक्षा उपयोगी रही होगी। अब सुयोग्य लोक-सेवी साधुओं को निर्वाह का क्रम ईसाई मिशनों के पादरियों की तरह बड़ी आसानी से हो सकता है। उपरोक्त दोनों ही वर्गों के अधिकारी व्यक्तियों को छोड़ कर शेष उन सभी भिक्षुओं को निस्त्साहित किया जाना चाहिये, जो न तो लोक सेवी हैं और न अपङ्ग। सेवा, कर्तव्य है—भिक्षा अधिकार। यदि सेवा नहीं—तो भिक्षा भी नहीं। यह तथ्य सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया

धाय तो यह एक करोड़ लोगों की भिक्षुक एवं अर्ध-भिक्षुक जनसंख्या कुछ उपाजन में लग सकती है। गरीब जनता पर पड़ने वाला एक भार बच सकता है, उपाजन और श्रम से इन लोगों का आत्म-गौरव और कर्तृत्व निखर सकता है, वे अपने लिये और समाज के लिये उपयोगी व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं।

भिक्षा अनेतिक है। भिक्षा व्यवसायी की मनोभूमि दिन-दिन पतित होती जाती है। उसका शौर्य, साहस, पौरुष, गौरव सब कुछ नष्ट हो जाता है और दीमता मस्तिष्क पर बुरी तरह छाई रहती है। अपराधी की तरह उसका शिर नीचा रहता है। अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए उसे हजार ढोंग रचने पड़ते हैं और लाब तरह की मूढताये फैलानी पड़ती हैं। यह भार जनमानस को विकृत बनाने की दृष्टि से और भी अधिक भयावह है।

हर विचारशील का कर्तव्य है कि भिक्षा व्यवसाय को निरुत्साहित करे। कुपात्रों को वाणी मात्र से भी उत्साहन दें। जिन पर प्रभाव पड़ सके, उन्हें भिक्षा छोड़ने और श्रम करने के लिए कहे। इतनी बड़ी जन संख्या को इस अवांछनीय व्यवसाय से विरत करने के लिये हमें गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये और उसके लिए कुछ ठोस प्रयत्न करना चाहिए।

—भिक्षा व्यवसाय देश और समाज का कलङ्क



मुद्रक—युग निर्माण प्रेस, गायत्री तपोभूमि मथुरा। क्र० ४४